मु.ज.-551-10,00,000-09.

APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... अतिरिक्त मुकाम .... टोंक ....

सरकार जरिये तह० टोडारायसिंह बनाम .... ग्राम पंचायत कुकड़ ....

किस्म मुकदमा .... अपील .... नं. 32 .... सन् 2017 ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-2-17	पत्रावली प्रार्थी तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो० को तलबी जरिये सम्मन की जाकर अपीलाधीन से संबंधित मूल रेकार्ड तलब होकर पत्रावली दिनांक 16-3-17 को पेश हो। [signature] अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	88-90 / 2/3/17
16-3-17	अति० प्रार्थी उप० प्रतिपक्षी सं० 2 की ओर से श्री मनीष कुमार जैन, सचिव ग्राम पंचायत कुकड़ उप०। मूल नामांतकरण व इन्तकाल संबंधित रेकार्ड तलब कर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21-4-17 को पेश हो। [signature] अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	[signature] 16/3/17 मनीष कुमार जैन सचिव ग्रा.प. कुकड़
21-4-17	अति० प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब अपील पेश किया। पीठा० राज कार्य से बाहर पधारे है। पूर्वानुसार पत्रावली (वास्ते तलबी रिकार्ड) दिनांक 12-5-17 को पेश हो। [signature]	504 / 24/4/17
12-5-17	पत्रावली पेश हुई। अति. प्रार्थी उप० वांछित मूल रेकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। तलब होकर पत्रावली दिनांक 21-6-17 को पेश हो। [signature] अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-6-19	पेशकार सरकार एवं अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1(1) तथा रेस्पो. संख्या 1(2) उप. जवाब हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते जवाब तथा संबंधित रिकार्ड तलब व पत्रावली रिकार्ड 2-8-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक	सम्पतसिंह (सचिव) 14-6-2019 859 / 17-6-19
2-8-19	जिला अभि. संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली पूर्वानुसार दि. 31-10-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक	रेखा सरपंच
31-10-19	पेशकार सरकार एवं अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1(1) उप. अभिभाषक अपीलार्थी संख्या 1(1) ने पूर्व में ही जवाब पेश करना जाहिर किया। संबंधित रिकार्ड प्राप्त। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 8-11-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक	रिकार्ड प्राप्त शामिल
8-11-19	पेशकार सरकार एवं अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1(1) उप. अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1(1) ने दस्तावेजात पेश किए। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22-11-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक	
22-11-19	पेशकार सरकार एवं अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1(1) उप.। बहस सुनी गई। पेशकार सरकार का कथन है कि रेस्पो. संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत कूकड़ में सम्मिलित ग्राम श्री नगर की (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक	

Scanned by CamScanner

आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गयी थी, जिसके अनुसार ही पटवारी हल्का घारेडा को ग्राम पंचायत आबादी विस्तार हेतु नामान्तकरण भरकर स्वीकार किये जाने हेतु पेश करना अपेक्षित था, लेकिन पटवारी हल्का ने वरिष्ठ. संख्या 2 द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 27-12-2010 की गलत व्याख्या करते हुए आराजी खसरा नं० 1138/5 रकबा 2.00 है० कायम कर आबादी विस्तार / सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आराजी ग्राम श्रीनगर आबादी दर्ज करते हुए तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 28-3-2011 वाके ग्राम श्रीनगर को तस्दीक करवा लिया जो नियमानुसार सही नहीं है। अतः उक्त नामान्तकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 (1) ने जवाबी बहस में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी पीपलूसिंह(?) में ग्राम पंचायत कूकड के प्रस्ताव एवं तहसीलदार पीपलूसिंह(?) की अभिशंसानुसार ग्राम श्रीनगर तह० पीपलूसिंह(?) की भूमि खसरा नम्बर 1138/1 रकबा 5.58 है० किस्म चारागाह में से 2.00 है० भूमि राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 सपठित राज० काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई है। जिसके क्रम में तहसीलदार पीपलूसिंह(?) द्वारा नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 28-3-2011 आबादी विस्तार / सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित (सेट-अपार्ट) ग्राम श्रीनगर आबादी

...बावारस्त जिला ... टोंक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विस्तार हेतु तस्दीक किया है जो गलत है, उक्त नामान्तकरण की जानकारी ग्राम पंचायत श्रीनगर तहसील पीपलू (?) को होने पर ग्राम पंचायत द्वारा इस बाबत एक प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक को प्रस्तुत करने पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ 12-30 राजस्व आवंटन/17/5292-97 दिनांक 24-5-2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीपलू एवं तहसीलदार पीपलू को निर्देशित किया है कि वे उक्त आवंटन आदेश की अनुपालना में संशोधित नामान्तकरण खोलकर राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत कुकड़ के नाम अमल दरामद नियमानुसार कर आरक्षित भूमि को ग्राम पंचायत को सुपुर्दगी में देवे, उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार पीपलू द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1138/5 रकबा 2.00 है0 की ग्राम श्रीनगर का नामान्तकरण संख्या 181 दिनांक 5-6-2017 द्वारा आबादी विस्तार हेतु (आरक्षित) ग्राम पंचायत कुकड़ के नाम तस्दीक किया गया है। अतः नामान्तकरण संख्या-51 दिनांक 28-3-2011 को निरस्त किया जाना उचित है। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी पीपलू के ग्राम पंचायत कुकड़ के प्रस्ताव एवं तहसीलदार पीपलू की अभिशंसानुसार ग्राम श्रीनगर तहसील पीपलू की भूमि खसरा नम्बर 1138/1 रकबा 5.58 है0 किस्म चारागाह में से 2.00 है0 भूमि राज0 भू. राजस्व अधिनियम	

(हस्ताक्षर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम … हुक्म की … में जारी
	1956 की धारा 92 सपठित राज० काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम-7 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए आबादी / सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित (सेट-अपार्ट) कर ग्राम श्रीनगर को नियमानुसार आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई है जिसके क्रम में तहसीलदार पीपलू द्वारा नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 28-3-2011 आबादी विस्तार / सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित (सेट-अपार्ट) ग्राम श्रीनगर आबादी विस्तार हेतु तस्दीक किया है जो नियमानुसार सही नही है / उक्त नामान्तकरण की जानकारी ग्राम वासियान श्रीनगर तहसील पीपलू को होने पर इस बाबत एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर टोंक को प्रस्तुत करने पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक द्वारा स्वयं आदेश क्रमांक एफ 12-30 राजस्व / आवंटन / 17/5292-97 दिनांक 24-5-2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीपलू एवं तहसीलदार पीपलू को निर्देशित किया गया कि उक्त आवंटन आदेश की अनुपालना में संशोधित नामान्तकरण खोलकर राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत कूकड़ के नाम अमल दरामद नियमानुसार कर आवंटित भूमि को ग्राम पंचायत को सुपुर्दगी में देवे / आदेश की पालना में तहसीलदार पीपलू द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1138/5 रकबा 2.01 हे० वाके ग्राम श्रीनगर का नामान्तकरण संख्या 181 दिनांक 5-6-2017 द्वारा आबादी विस्तार हेतु (आरक्षित) ग्राम पंचायत कूकड़ के नाम तस्दीक किया गया है / अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटस स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या-51 दिनांक 28-3-2011 वाके ग्राम श्रीनगर को निरस्त किया जाता है / पत्रावली निर्णित घोषित होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो /	

[signature]

अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2019.12.05 17:27:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: